योजना का सार

बजट 2025: भारतीय अवसंरचना में प्रगति

संदर्भ

- पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क 60% बढ़ चुका है। देश की 99% आबादी ग्रामीण सड़कों से जुड़ चुकी है। नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता तेज़ी से बढ़कर कुल ऊर्जा का 47% हो गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भारत को वर्ष 2047 तक 300 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। सरकार ने अवसंरचना आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता की गति को आगे बढ़ाते हुए जलपोत निर्माण की ओर ध्यान दिया है। भारत की समुद्री क्षमता बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोज़गार सृजन के लिए जलपोत निर्माण एक महत्त्वपूर्ण उद्योग है।

2014-2024 की विरासत : प्रगति की बुनियादें

- राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क 60% की वृद्धि के साथ वर्ष 2014 में 9,1287 किमी. से बढ़कर वर्ष 2024 में 146145 किमी. हो गया है। इससे माल ढुलाई के व्यय में 15% की उल्लेखनीय कमी आई है। भारतीय बंदरगाहों की माल निर्वहन क्षमता दोगुनी होकर 1630 मिलियन टन हो गई और वैश्विक जहाज़रानी रैंकिंग में भारत 44वें से बढ़कर 22वें पर पहुँच गया है।
- शहरों में आवासन की तंगी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 1.18 करोड़ रिहायशी इकाइयाँ निम्न आय वाले परिवारों को दी गईं। शहरी अवसरंचना में अत्यधिक वृद्धि हुई और मेट्रो नेटवर्क 248 किमी. से चार गुना बढ़कर 993 किमी. हो गया।

भारतीय अवसंरचना का नवयुग

- वर्ष 2016 का रियल एस्टेट नियमन एवं विकास अधिनियम से अब तक अपारदर्शी रहे ज़मीन-ज़ायदाद के बाज़ार में पारदर्शिता व जवाबदेही आई है। इस सुधार तथा वस्तु एवं सेवा कर पर क्रियान्वयन ने संयुक्त रूप से बाज़ार की गतिकी को बदलने के साथ ही उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा दिया और समूची निर्माण मूल्य शृंखला को सुचारु बनाया है। जी.एस.टी. के क्रियान्वयन ने जटिल कर ढाँचे से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को कम किया है और इस ढाँचे का सरलीकरण कर अवसंरचना क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ है।
- निर्माणाधीन संपत्तियों एवं किफायती आवास परियोजनाओं के लिए जी.एस.टी. दरों को तार्किक बनाए जाने से मांग को बल व सरकार के सबके लिए घर के मिशन को समर्थन मिला है। रियल एस्टेट बाज़ार का पहिया विकास के एक ठोस चरण में प्रवेश कर चुका है। इसका सबूत सभी बड़े बाज़ारों में रिकॉर्ड बिक्री और लगातार मूल्य वृद्धि है। रियल एस्टेट क्षेत्र में अभूतपूर्व संस्थागत निवेश देखने को मिला है। नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और पीएम गति शक्ति जैसी पहल के ज़रिए सरकार ने अवसंरचना पर ज़ोर दिया है।

बजट 2025 : भविष्य में प्रवेश का गतिवर्द्धन

- संघीय बजट 2025-26 में जलपोत निर्माण को अवसंरचना का दर्जा देने का फैसला एक बड़ा कदम है। बजट 2025 का एक अन्य महत्त्वपूर्ण स्तंभ शहरी कायाकल्प का कार्यक्रम है। इसमें एक लाख करोड़ रुपए का शहरी चैलेंज कोष बनाने की घोषणा की गई है जिससे स्मार्ट शहरों में 25% बैंक ग्राह्य परियोजनाओं, जल एवं स्वच्छता अवसंरचना तथा परिवहन-उन्मुख विकास के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी।

- मेट्रो रेल विकास योजना में प्रतिवर्ष 300 किमी. नई लाइनें बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे वर्ष 2030 तक मेट्रो लाइनों की कुल लंबाई 1500 किमी. हो जाएगी। सरकार आवासन को अब भी शीर्ष प्राथमिकता दे रही है। पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 में 80 लाख किफायती रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए की बड़ी रकम रखी गई है। इससे उपलब्ध शहरी आवासों का अभाव दूर होगा और लाखों शहरियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार आएगा।

बजट 2025 : जहाज़ निर्माण क्षेत्र

- भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्गों के ज़रिए होता है। भारत की यह भौगोलिक एवं भू-राजनीतिक स्थिति समुद्री मार्ग की क्षमता को न केवल मज़बूत बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर देती है बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन देश को नौवहन क्षेत्र में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- बंदरगाह लॉजिस्टिक के साथ ही नौवहन क्षेत्र से जुड़े अन्य क्षेत्र, जैसे- जहाज़ निर्माण, जहाज़ स्वामित्व एवं जहाज़ पंजीकरण बिंदुओं पर ध्यान देने की रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। जहाज़ों के स्वामित्व में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी केवल 1.2% है। जहाज़ निर्माण में भारत के पास वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी का केवल 0.07% हिस्सा है, जबकि चीन का इस क्षेत्र में 46.6% हिस्सेदारी के साथ वर्चस्व है।
- भारत अपने लगभग 95% अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई के लिए विदेशी जहाज़ों पर निर्भर है। वर्ष 2022-23 में विदेशी कंपनियों को समुद्री माल ढुलाई शुल्क के रूप में 75 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया। यह

निर्भरता आर्थिक परिणाम से आगे जाकर गंभीर कमज़ोरी में तब्दील हो सकती है। हालाँकि, भारत के पास समुद्री प्रभुत्व के लिए बुनियादी लाभ हैं। देश ने परमाणु पनडुब्बियों एवं विमान वाहकों के डिज़ाइन व निर्माण में उन्नत क्षमता हासिल की है। भारत नाविक आपूर्ति में विश्व में तीसरे स्थान पर है जो दुनिया भर में समुद्री कार्यबल का 10-12% योगदान देता है।

- एक ऐतिहासिक कदम के रूप में भारत के बजट 2025 में बड़े जहाज़ों को हार्मोनाइज़्ड मास्टर लिस्ट में शामिल करके उन्हें बुनियादी ढाँचे का दर्जा देकर जहाज़ निर्माण को औद्योगिक नीति में सबसे आगे रखा है। यह रण-नीतिक निर्णय नव-स्थापित 25,000 करोड़ रुपए के समुद्री विकास कोष जहाज़ निर्माण क्लस्टर एवं अनुसंधान पहलों के लिए महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के बेहतर वित्तपोषण के मार्ग खोलता है।
- वर्तमान में मात्र 0.06% बाज़ार हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर 22वें स्थान पर है। भारत ने वर्ष 2030 तक शीर्ष के 10 जहाज़ निर्माण देशों में शामिल होने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है जो कि समुद्री विनिर्माण उत्कृष्टता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- नीतिगत ढाँचा केवल वित्तीय प्रोत्साहनों तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक व्यापक दृष्टिकोण को भी शामिल करता है, जिसमें जहाज़ के घटकों पर लक्षित कस्टम ड्यूटी छूट एवं नवाचारी शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट्स शामिल हैं, जो घरेलू रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्क्रैप मूल्य का 40% प्रतिपूर्ति करते हैं।
- तटीय नौवहन विधेयक, 2024 का उद्देश्य तटीय व्यापार के लिए एक व्यापक नियामक ढाँचा तैयार करना, भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों पर प्रतिबंध हटाना और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस स्थापित करना है।

- समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2024 कानूनी ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट करने और विवादों के समाधान की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है। बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024 औपनिवेशिक युग के कानून की जगह शिपिंग दस्तावेज़ों को आज के समय अनुसार बनाता है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना और समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।
- भारत का 2025 का बजट जहाज़ निर्माण एवं समुद्री बुनियादी ढाँचे पर इसके खास फोकस की वजह से देश के विकास पथ का एक महत्त्वपूर्ण चरण कहा जा सकता है। जहाज़ निर्माण को बुनियादी ढाँचे का दर्जा देकर 25,000 करोड़ रुपए के समुद्री विकास कोष की स्थापना करके और व्यापक विनियामक सुधारों को लागू करके देश आज लाखों नौकरियों का सृजन करने की ओर अग्रसर है।

बजट 2025-26 : कर सुधारों की ओर

संदर्भ

- कर अनुपालन को सरल बनाने, दरों को युक्तिसंगत बनाने और स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2025-26 में सुधार किए गए हैं। वर्ष 2025-26 वित्त विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों एवं व्यवसायों पर बोझ को कम करना, अनुपालन को सरल बनाना और अधिक निवेश-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है।

मध्यम वर्ग के लिए राहत : कर में कमी, आय में अधिक आसानी

- व्यक्तिगत आयकर स्लैब का पुन: निर्धारण इस बजट की सबसे बड़ी विशेषताओं में शुमार है। सरकार ने 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की आय वालों

के लिए कर देयता कम कर दी है। इसका अर्थ है कि लोगों की जेब में अधिक पैसा आएगा और खर्च को बढ़ावा मिलेगा तथा मांग एवं आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। यह केवल कर की बचत के बारे में नहीं है, यह लोगों की वित्तीय सशक्तता के बारे में है।

- कर निर्धारण को अधिक सरल बनाने के लिए संशोधित कर स्लैब अनावश्यक जटिलता को समाप्त करते हैं। अपने कब्ज़े वाली संपत्ति के संदर्भ में कराधान पर पुराने प्रतिबंधों को हटाना इसका एक अन्य महत्त्वपूर्ण सुधार है। इस बदलाव के साथ, जो लोग दो घरों के मालिक हैं और रोज़गार की बाधाओं या व्यक्तिगत कारणों से उनका उपयोग या कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं, उन्हें अब अनुचित रूप से दंडित नहीं किया जाएगा।

कर अनुपालन में आसानी एवं तनाव में कमी

- बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दी गई है। इससे व्यक्तियों एवं व्यवसायों को अत्यधिक दंड के डर के बिना फाइलिंग से संबंधित किसी भी त्रुटि को ठीक करने के लिए अतिरिक्त समय मिलता है।
- अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधाओं से संबंधित सेवाओं के लिए अनुमानित कराधान शुरू किया है। यह कदम कर के संदर्भ में अधिक स्पष्टता प्रदान करता है जिससे भारत एक अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बन जाता है। सरकार ने स्रोत पर कर कटौती (TDS) एवं स्रोत पर कर संग्रह (TCS) प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया है। यह बजट उन अक्षमताओं को समाप्त करता है जिससे व्यवसायों एवं व्यक्तियों दोनों के लिए एक सहज प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। व्यवसायों के लिए, टी.सी.एस. भुगतान में देरी अब आपराधिक दायित्व नहीं होगी।

निवेश एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहन

- बजट 2025-26 निरंतर निवेश आकर्षित करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और प्रमुख उद्योगों को मज़बूत करने पर केंद्रित है। स्टार्टअप के लिए 1 अप्रैल, 2030 तक निगमित व्यवसायों को कर लाभ का विस्तार किया गया है। भारत के तेज़ी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखते हुए यह कदम सुनिश्चित करता है कि नए उद्यमों को बढ़ने, नवाचार करने और रोज़गार सृजित करने के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
- भारतीय शिपिंग कंपनियों के लिए नई टन भार कर योजना के साथ शिपिंग उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है जिसमें अंतर्देशीय जहाज़ भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लक्षित कर प्रोत्साहनों के साथ एक प्रमुख फोकस बना हुआ है। आई.एफ.एस.सी. में संचालित जहाज़ के पट्टे वाली इकाइयों के लिए पूंजीगत लाभ एवं लाभांश पर छूट भारत को एक अधिक आकर्षक वित्तीय केंद्र बनाएगी।

एक बेहतर, निष्पक्ष कर प्रणाली

- यह बजट विवादों को कम करने और कर प्रशासन दक्षता में सुधार के लिए संरचनात्मक परिवर्तन करता है। छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए, पंजीकरण अवधि को पाँच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष करके अनुपालन को सरल बनाया गया है। एक अन्य बड़ा सुधार हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के लिए एक बहु-वर्षीय संरचना है। यह व्यवसायों को कई वर्षों में अपनी आर्म्स लेंथ प्राइस (ALP) निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करता है। यह भारत में संचालित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बहुत आवश्यक पूर्वानुमान प्रदान करता है।
- कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने में डिजिटलीकरण महत्त्वपूर्ण है।

सरकार प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने, सटीकता में सुधार करने और तेज़ी से विवाद समाधान सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटे-लिजेंस से कर आकलन एवं त्वरित निगरानी का लाभ उठा रही है।

प्रमुख प्रत्यक्ष कर सुधार

वर्ष 2014

- स्विस बैंक खातों में जमा काले धन की जाँच के लिए विशेष जाँच दल गठित।
- डॉ. पार्चसारथी शोम के नेतृत्व वाले कर प्रशासन सुधार आयोग ने विश्व की सर्वोत्तम पद्धतियों के संदर्भ में व्यावहार्य कर नीतियों और कर अधिनियमों की समीक्षा रिपोर्ट तथा कर प्रशासन को प्रभावी व दक्ष बनाने के लिए कर प्रशासन में सुधारों के लिए सुझाव सौंपे।

वर्ष 2015

- संपत्ति कर अधिनियम, 1957 में लगा संपत्ति कर समाप्त किया गया।
- प्रभावी प्रबंधन के स्थान की अवधारणा लागू की गई।

वर्ष 2016

- लेवी एक-सी रखने की व्यवस्था लागू की गई।
- बेस एरोज़न एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (Base Erosion and Profit Shifting) उपाय लागू करने के लिए देशवार रिपोर्ट पेश की गई।
- पेशेवर लोगों के लिए आनुमानिक कराधान योजना शुरू की गई।
- पीएम गृह कल्याण योजना के लिए कोष एकत्र करने की आय घोषणा योजना शुरू की गई।

वर्ष 2017

- मूल देय तिथि निकल जाने के बाद आयकर रिर्टन दाखिल करने वाले करदाताओं पर शुल्क लगाने की योजना शुरू की गई।
- 2,50,000 रुपए से 5,00,000 रुपए के सबसे निचले स्लैब की कर दर 10% से घटाकर 5% की गई।

वर्ष 2018

- वैतनिक व्यक्तियों के लिए मानक कटौती फिर लागू की गई।
- आकलन कार्यवाही को इलेक्ट्रोनिक ढंग से चलाने के लिए 'ई-प्रोसीडिंग' योजना शुरू की गई।

वर्ष 2019

- घरेलू कंपनियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की गई।
- कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने के उद्देश्य से स्रोत पर कर कटौती की योजना शुरू की गई जो निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि की निकासी पर लागू होनी थी।
- पैन एवं आधार एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं।
- विभाग के कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दस्तावेज़ पहचान संख्या (DIN) शुरू की गई।
- ई-आकलन योजना, 2019 शुरू की गई।

वर्ष 2020

- फेसलैस आकलन योजना 2020 और फेसलैस अपील योजना 2020 लागू की गई।
- निजी करदाताओं के लिए नई आयकर व्यवस्था में रियायती कर दरें घोषित की गई।

- लाभाशं वितरण कर समाप्त कर दिया गया।
- मुकदमेबाज़ी कम करके सरकारी राजस्व जुटाने के उद्देश्य से 'विवाद से विश्वास' योजना लाई गई।

वर्ष 2021

- नया ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू किया गया।
- पुनआर्कलन एवं आकलन ढूँढने की नई योजना सर्च आकलन लागू की गई। आई.टी.ए.टी. के समक्ष हाज़िर हुए बिना फेसलैस कार्यवाही की व्यवस्था लागू की गई।
- अग्रिम व्यवस्था के लिए बोर्ड का गठन किया गया।
- समझौता (निपटान) आयोग समाप्त कर दिया गया।

वर्ष 2022

- वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर कर लगाने की व्यवस्था शुरू की गई।
- कोविड-19 से जुड़े मुआवज़े पर कर राहत लागू की गई।
- 'अपडेटिड रिटर्न' शुरू की गई जो रिटर्न दाखिल करने की संशोधित तिथि समाप्त होने के बाद भी दाखिल की जा सकती है।

वर्ष 2023

- नई आयकर व्यवस्था में आयकर से छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई।
- 15% निगमित कर लाभ उन नई सहकारी समितियों को भी देने का फैसला किया गया जो 31 मार्च, 2024 तक उत्पादन शुरू करने लगेंगी।
- स्टार्टअप्स को आयकर लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उनकी स्थापना की तारीख एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई।

वर्ष 2024

- सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंज़िल कर समाप्त कर दिया गया। हीरे बेचने वाली विदेशी कंपनियों के लिए निगमित कर दर 40% से घटाकर 35% की गई।
- वैतनिक कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए की गई।

वर्ष 2025

- 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वालों पर कोई आयकर नहीं (वैतनिक कर्मचारियों के लिए राशि 12.75 लाख रुपए होगी)। तीन वर्ष की अवधि के ब्लॉक के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन पर आर्म्स लेंग्थ प्राइस योजना का प्रस्ताव।
- सुरक्षित हार्बर नियमों के क्षेत्र का विस्तार किया गया, ताकि मुकदमेबाज़ी कम हो और अंतर्राष्ट्रीय कर व्यवस्था में निश्चितता आए।
- इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग योजनाओं के लिए कर निश्चितता।
- स्टार्टअप्स के लिए स्थापना की अवधि में 5 वर्ष का विस्तार।

निष्कर्ष : एक संतुलित, विकासोन्मुख कर का विज़न

- कर प्रशासन में सुधार के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान किए गए सुधारों की शृंखला भारत के लगातार बढ़ते कर-से-जी.डी.पी. अनुपात में परिलक्षित होती है जो वित्त वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 11.9% है। वित्त वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) के लिए जी.डी.पी. में प्रत्यक्ष कर 6.9% है। केंद्रीय बजट 2025-26 एक ऐसी कर प्रणाली बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है जो निष्पक्ष, प्रभावी व भारत की आर्थिक महत्त्वाकांक्षाओं के अनुरूप हो।

पर्यावरण अनुकूल बजट

संदर्भ

- भारत ने अपनी प्रतिबद्धता की समय सीमा से एक दशक पहले ही सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में निहित कार्बन तीव्रता (किसी अर्थव्यवस्था की प्रति इकाई, आर्थिक उत्पादन या गतिविधि के लिए उत्सर्जित कार्बन डाइ-ऑक्साइड) की मात्रा को वर्ष 2005 के स्तर से 36% तक कम कर दिया है।
- भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के तहत वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में कमी के लक्ष्य को बढ़ाकर 45% कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट ने भारत के जलवायु लक्ष्यों की प्रतिबद्धता को मज़बूती दी है और इसे देश की आर्थिक विकास योजनाओं का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। इस बजट में स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन एवं महत्त्वपूर्ण खनिजों सहित जलवायु कार्रवाई के सभी पहलुओं का समर्थन किया गया है।

हरित क्षेत्रों की नीतियों के कार्यान्वयन एवं शासन में सुधार

- वित्त मंत्रालय ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बजट में लगभग 10% की वृद्धि की है जिससे इसका आवंटन पिछले बजट के 3,125.96 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,412.82 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह हरित क्षेत्रों में नीतियों व प्रबंधन को सुधारने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- देश में इस्तेमाल होने वाले ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। इस प्रगति को और आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बजट में 39% की उल्लेखनीय वृद्धि की गई।

वितरित सौर ऊर्जा पर ज़ोर

- सौर ऊर्जा को बजट में अधिक आवंटन मिला है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में वितरित ऊर्जा क्षेत्र का आवंटन बढ़ाकर 22,600 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फरवरी 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट तक नि:शुल्क सौर उत्पन्न बिजली प्रदान की जाती है।
- इस कार्यक्रम ने घरों को राष्ट्रीय जलवायु शमन योजनाओं से जोड़ने में सफलता प्राप्त की है और बिजली की गुणवत्ता में महत्त्वपूर्ण सुधार किया है। इसी प्रकार, पीएम-कुसुम योजना के लिए बजट आवंटन भी बढ़ाकर 2,600 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के ज़रिए पानी के पंपों को संचालित करना है।

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन एवं निर्माण : संतुलन व प्राथमिकताओं को सही से समायोजित करना

- वर्ष 2025-26 का बजट औद्योगिक नीतियों को इस तरह से समायोजित करने के लिए तैयार किया गया है जिससे देश को स्वच्छ प्रौद्योगिकी निर्माण क्षमता मज़बूत हो और जलवायु तकनीकों के लिए आयातित सामग्रियों पर निर्भरता कम हो। नवीकरणीय ऊर्जा के सुचारु ट्रान्समिशन के लिए ट्रान्स-मिशन लाइनों का निर्माण करने एवं इसे ग्रिड से जोड़ने से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में समर्थन मिलेगा। हरित ऊर्जा गलियारों के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया जिससे सौर एवं पवन ऊर्जा हेतु अवसंरचना का निर्माण तथा ट्रान्समिशन आसान हो सकेगा।
- बिजली वितरण कंपनियों के सुधारों के तहत राज्यों को अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी गई है जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बजट ने हरित हाइड्रोजन क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया है जिसके तहत इसके लिए आवंटन को दोगुना कर 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

- परमाणु ऊर्जा-भारत की ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा की दिशा में दूरदर्शी कदम
- 28वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP28) में कार्बन उत्सर्जनमुक्त होने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में परमाणु ऊर्जा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया। वर्ष 2024 के मध्य तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता केवल 8.2 गीगावाट थी, जबकि 2022-23 में कुल बिजली उत्पादन में इसका योगदान मात्र 2.8% का था। हाल में घोषित परमाणु मिशन के अंतर्गत वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है।
- स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) विकसित करने का प्रस्ताव कई आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, जैसे- कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में कार्बन उत्सर्जक ऊर्जा संयंत्रों का प्रतिस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ते समय ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करना, समुद्री जहाज़ों की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना, आदि।
- अगले दशक में भारत में कई ऊर्जा खपत वाले डाटा केंद्रों की संख्या में वृद्धि होगी। इन केंद्रों की बिजली खपत वर्ष 2030 तक बढ़कर भारत की कुल बिजली खपत के 3% तक पहुँच सकती है। एस.एम.आर. तकनीक डाटा केंद्रों के लिए एक संभावित स्वच्छ ऊर्जा समाधान बन सकती है।
- परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की घोषणा इस उद्योग के विस्तार के लिए महत्त्वपूर्ण होगी। अनुसंधान एवं विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन तकनीक के विकास और उसे उन्नत करने में महत्त्वपूर्ण होगा, जिससे कि निजी क्षेत्र इसमें निवेश के लिए आकर्षित हो सकेगा।

आवागमन

- इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मज़बूत होगी और देश को वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न विदेशी मुद्रा बाज़ार के जोखिमों से बचाने में मदद मिलेगी।
- वर्ष 2025-26 के बजट ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण की घरेलू क्षमता को बढ़ाने और ई.वी. तंत्र में आपूर्ति शृंखला की अनिश्चितताओं को कम करने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों के आपूर्ति पक्ष पर ज़ोर दिया है। इसके तहत कोबाल्ट, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, सीसा व जस्ता जैसी महत्त्वपूर्ण सामग्रियों पर मूल सीमा शुल्क (BCD) को हटाने से ई.वी. निर्माण लागत घटेगी और भारत में ई.वी. विनिर्माण आधार मज़बूत होगा।

पुनर्चक्रण

- भारत को विकसित एवं हरित अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होगी किंतु, हरित अर्थव्यवस्था के लिए केवल अप्रयुक्त कच्चे माल पर निर्भर रहना व्यावहारिक नहीं है। चक्रीय अर्थव्यवस्था ऊर्जा खपत को 11% तक कम कर सकती है। बजट में जहाज़ निर्माण क्षेत्र एवं अवशेषों से महत्त्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति हेतु वित्तीय लाभों की घोषणा की गई है जो देश में चक्रीय अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

कृषि क्षेत्र पर ध्यान

- जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली विषम मौसमी घटनाओं जैसे अत्यधिक गर्मी और जल संकट से कृषि उपज व खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण में पहले ही इन्हें उजागर किया गया था। इसके लिए 'उच्च उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन' की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों को सहने में सक्षम बीजों का विकास करना है, ताकि किसान अत्यधिक विषम मौसमी घटनाओं का सामना कर सकें और भारत की खाद्य सुरक्षा को मज़बूती मिले।

समग्र कार्रवाई

- भारत की जैव-विविधता के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, प्राकृतिक संसाधनों एवं पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण आवश्यक है, ताकि जैव-विविधता बनी रहे और जलवायु को नियंत्रित किया जा सके। इन संसाधनों के संरक्षण से कमज़ोर समुदायों के लिए सतत् आजीविका को भी समर्थन मिलेगा। जलीय पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा से स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, मत्स्यपालन को बढ़ावा मिलता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाव की क्षमता बढ़ती है।
- वित्त वर्ष 2026 के बजट में प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा, 'प्रोजेक्ट टाइगर (बाघ)' एवं 'प्रोजेक्ट एलीपैंट (हाथी)' के लिए अधिक धनराशि आवंटित की गई है। यह दर्शाता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण एवं पारितंत्र की विविधता को बनाए रखने के लिए व्यापक उपायों के प्रति वचनबद्ध है।
- सतत् शहरी विकास के लिए शहरी विकास कोष की स्थापना
- वित्त वर्ष 2026 के बजट में 'शहरी चुनौती कोष' स्थापित करने की भी घोषणा की गई है, जिसके तहत भारत के विकास वाहक के रूप में कार्य करने वाले शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। जल एवं स्वच्छता शहरी क्षेत्रों के लिए प्रमुख चुनौतियाँ हैं और बजट ने इस कोष में बहुत महत्त्व दिया है। बजट के तहत शहरों को लाभदायक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रोत्साहित किया गया है जिसमें केंद्र सरकार की ओर से परियोजना लागत पर 25% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- केंद्रीय बजट 2025-26 भारत की हरित एवं सतत् अर्थव्यवस्था की महत्त्वाअ कांक्षा को सशक्त करता है और देश को अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों

को सहने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा जलवायु प्रौद्योगिकियों के लिए भारत को एक प्रतिस्पर्द्धी विनिर्माण केंद्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करना देश को आत्मनिर्भर बनाएगा और वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने में अन्य देशों की भी सहायता करेगा।

महिलाओं के प्रति हिंसा की रोकथाम :बहुक्षेत्रीय पहल

संदर्भ

- महिलाओं के प्रति हिंसा भारत में सबसे अहम सामाजिक-कानूनी चुनौतियों में से है। लगातार सुधरे हुए कानूनी प्रारूप और नीतिगत प्रयासों के बावजूद महिलाओं को यहाँ अब भी घरेलू हिंसा, यौन प्रताड़ना, यौन-तस्करी, सम्मान के नाम पर हत्या, साइबर हिंसा एवं कार्यस्थल में प्रताड़ना जैसे विभिन्न अत्याज़ चार झेलने पड़ते हैं।
- इस मुद्दे को समझने एवं हल करने के लिए ऐसी बहुक्षेत्रीय पहल अपनानी होगी जिसमें कानूनी, सामाजिक, शैक्षिक, टेक्नोलॉजी संबंधी व आर्थिक हस्तक्षेप भी शामिल हों। राष्ट्रीय महिला आयोग इस मोर्चे पर सबसे आगे है; वह नीतिगत सुधारों, जागरूकता अभियानों एवं सभी संबद्ध हितार्थियों के साथ तालमेल से काम करके महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण के निर्माण में सहयोग कर सकता है।

कानूनी एवं संस्थागत ढाँचे को मज़बूत बनाना

- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण कानून, 200 : इसके तहत घरेलू हिंसा झेलने वाली महिलाओं को तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। कार्यस्थल में महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं क्षतिपूर्ति) कानून, 2013- यौन प्रताड़ना (शोषण) रोकने के लिए कार्यस्थलों में आंतरिक शिकायत समितियाँ बनाना अनिवार्य है।

- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 (निर्भया कानून) : यौन अपराधों से जुड़े कानूनों को मज़बूती मिली है।
- दहेज निषध कानून, 1961 : इसके तहत दहेज लेने-देने और दहेज के करण उत्पीड़न को अपराधा माना जाता है।
- बाल शोषण अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 : इस कानून का उद्देश्य नाबालिग बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाना है।
- हालाँकि, इनके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। मामलों के त्वरित निपटान के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों जैसे संस्थागत तंत्र को मज़बूत करना और महिला पुलिस अधिकारियों की बढ़ती भर्ती से इन कानूनों के कार्यान्वयन में सुधार हो सकता है।

समुदाय-आधारित सहायता प्रणाली का विस्तार

- दीर्घावधि बदलाव की दृष्टि से महिलाओं के प्रति हिंसा से निपटने के लिए समुदायों को अधिकार देकर सशक्त बनाना ज़रूरी है। ग्राम स्तर पर महिला संगठन और स्व-सहायता समूहों के गठन जैसी पहलों से घरेलू हिंसा झेलने वाली महिलाओं को समर्थन व साधन मिल जाते हैं। वन स्टॉप सेंटर स्कीम और महिला हेल्पलाइन-181 के लागू होने से पीड़िता को सहायता प्राप्त करने में बहुत मदद मिलती है।
- धार्मिक एवं सामुदायिक नेताओं को बाल-विवाह जैसी कुरीतियों के कारण होने वाले हानिकारक परिणामों से लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेरित करके भी समाज की सोच व मानसिकता बदली जा सकती है।

सोच या मानसिकता बदलने में शिक्षा की भूमिका

- लिंग-आधारित हिंसा का प्रमुख कारण बनने वाली पुरुष-प्रधान मान्यताओं को जड़ से मिटाने में शिक्षा अत्यधिक सशक्त साधन है। वास्तविक बदलाव

तो कक्षा में ही शुरू होता है जहाँ प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चों के मस्तिष्क में लिंग संवेदना विकसित करना ज़रूरी है। अध्यापकों की विशेष भूमिका होती है इसलिए उन्हें समग्र शिक्षण का वातावरण बनाने की ट्रेनिंग दी जाए जिससे वे रूढ़िवादी सोच को समाप्त करके सम्मान व आदर की भावना का संचार करें। युवा महिलाओं में कक्षा की पढ़ाई के साथ ही आत्मरक्षा का भी प्रशिक्षण दिया जाए।

- फिल्म निर्माण एवं विज्ञापन से जुड़े लोगों से सहयोग करके भ्रामक धारणाओं की अभिव्यक्ति रोकने और प्रगतिशील लिंग-भूमिका को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। माता-पिता एवं अभिभावक भी घरेलू कामकाज व व्यवस्था में पुत्र-पुत्रियों को समान रूप से देखने और उनमें आपसी सम्मान, आदर तथा अहिंसा की भावनाएँ विकसित करने में अहम योगदान कर सकते हैं। विभिन्न पीढ़ियों के स्तर पर लगातार प्रयास करके ही शिक्षा से लिंग-आधा-रित हिंसा समाप्त करने में कामयाबी मिल सकती है।

महिला सुरक्षा में तकनीक का योगदान

- महिलाओं के प्रति हिंसा की चुनौती से निपटने में तकनीक बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। निर्भया, शेरोज़ एवं हिम्मत प्लस जैसी मोबाइल एप्लीकेशंस से महिलाओं को बल मिलता है जिससे वे तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
- साइबर अपराधों को रोकने वाले ऑनलाइन तंत्र का विस्तार एवं डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी साइबर प्रताड़ना व ऑनलाइन स्टॉकिंग (पीछा करना) की घटनाएँ रोकने की दिशा में काफी महत्त्वपूर्ण उपाय हैं।

आर्थिक सशक्तीकरण- हिंसा रोकने वाला कवच

- आर्थिक स्वतंत्रता लिंग-आधारित हिंसा रोकने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। महिलाएँ प्राय: आर्थिक तंगी के कारण ही यौन-प्रताड़ना झेलने पर मजबूर होती हैं और वे शोषण का प्रतिरोध भी नहीं कर पातीं हैं। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर और उन्हें आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाकर इसका समाधान किया जा सकता है।
- स्किल इंडिया जैसी सरकारी पहलों से रोज़गार देने की क्षमता बढ़ती है, जबकि मुद्रा योजना और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं से उन्हें आर्थिक समर्थन मिलता है तथा वे अपना कारोबार शुरू करने व उनका विस्तार करने में समर्थ होती हैं।
- बदलाव लाने में आर्थिक सुरक्षा के प्रभाव को मानते हुए लखपति दीदी योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य स्व-सहायता समूहों की 2 करोड़ महिलाओं को लखपति उद्यमी बनाना था। इस पहल से लचीलापन बढ़ता है क्योंकि महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता देकर और उन्हें ऋण उपलब्ध कराकर आय का निश्चित एवं स्थायी साधन मुहैया किया जाता है। समान वेतन देने की व्यवस्था अपनाकर और सुरक्षित तथा शोष-णमुक्त कार्यस्थल स्थापित करके आर्थिक शोषण रोकने के साथ ही अधिक समावेशी व्यावसायिक परिवेश बनाया जा सकेगा।

महिलाओं के प्रति साइबर हिंसा का समाधान

- डिजिटल पैठ बढ़ने के साथ ही साइबर हिंसा नए युग की चुनौती बनकर उभरी है जिसमें ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग एवं बिना सहमति के चित्र शेयर करने जैसे अपराध बढ़े हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजिटल शक्ति कार्यक्रम जैसी पहलें शुरू की हैं।

- ऑनलाइन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कानूनी तंत्र को मज़बूत किया जाएगा, यौन कदाचार रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ मिलकर प्रयास किए जाएंगे और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर महिलाओं को सुरक्षित ढंग से ऑनलाइन कार्यक्रम प्रयोग करने की आज़ादी मिल जाएगी।

लिंग-आधारित हिंसा से निपटने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारों को मज़बूत करना

- महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी भी सहयोग कर रही है। निजी कार्यस्थल सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कंपनियों एवं सरकारी कार्यालयों में लिंग-ऑडिट (लेखा-जोखा) शुरू करने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कार्यस्थल में महिलाओं के यौन शोषण (वितरण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 का सही प्रकार से परिपालन किया जा रहा है।
- भारतीय महिला आयोग (NCW) जैसे संगठनों के साथ समन्वय से कई कंपनियाँ आंतरिक शिकायत समितियाँ (ICC) बनाने की योजना लागू कर रही हैं और प्रताड़नामुक्त कार्यस्थलों की स्थापना करके कर्मचारी संवेदीकरण कार्यक्रम चला रही हैं।
- कंपनियाँ कई महानगरों में शुरू की गई 'सुरक्षित नगर परियोजनाओं' जैसी पहलों को समर्थन देकर तथा बेहतर निगरानी प्रणालियों में निवेश करके, परिवहन सेवाएँ जुटाकर और महिलाओं के अनुकूल बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करके योगदान कर सकती हैं। ऐप-आधारित कैब सेवाओं में प्रमाणित ड्राइवर, जी.पी.एस. ट्रैकिंग और आपात प्रतिक्रिया बटन जैसे फीचर लगाए जा चुके हैं परंतु अभी सुरक्षा तंत्र के अधिक विस्तार तथा जवाबदेही तय करने की व्यवस्था करने की ज़रूरत है।

- अनुसंधान एवं विकास पर निवेश भी ज़रूरी है। टेक फर्में और स्टार्टअप कंपनियाँ सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर ए.आई. चालित उपकरण विकसित करने, पहने जाने वाले सुरक्षा उपकरण तैयार करने और लीगल टेक समाधान खोजने में कामयाबी पा सकती हैं जिससे अपराधों की रिपोर्टिंग आसानी से की जा सकेगी।
- फिर, निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) कोष में वन स्टॉप सेंटर (OSC) स्थापित किए जा सकेंगे जिनसे निर्भया कोष की व्यवस्था के तहत सुरक्षित बचने वाली पीड़िताओं को मनोवैज्ञानिक, कानूनी व चिकित्सा सहायता दी जा सकेगी।
- संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में लिंग-आधारित हिंसा (GBV) से निपटना
- संघर्षग्रस्त एवं आपदा की आशंका वाले क्षेत्रों की महिलाओं के लिए लिंग-आधारित हिंसा की शिकार बनने की संभावना अधिक होती है। लिंग-आधारित हिंसा रोकने वाली आपदा नीतियों में कानून लागू करने वाली एजेंसियों एवं मानवीय सहायता कार्यकर्ताओं के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश होने चाहिए कि वे हिंसा रोकने तथा उससे निपटने के लिए क्या करें। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाले कानून एवं पॉक्सो कानून तथा अनैतिक कारोबार निवारण अधिनियम जैसे मौजूदा कानूनों को लागू करने की व्यवस्था मज़बूत करना संकटग्रस्त कमज़ोर महिलाओं व बच्चों को सुरक्षा देने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
- व्यापक योजना में आपात शरणस्थलों का विस्तार और वन स्टॉप सेंटरों की संख्या बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि पीड़ित महिलाओं को तुरंत सुरक्षा, चिकित्सा सहायता एवं काउंसलिंग (परामर्श) सेवा प्रदान की जा सके। कानून लागू करने वाले अधिकारियों व मानवीय कार्यकर्ताओं को मिशन शक्ति जैसे

कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वे हर मामले को पूरे ध्यान एवं सावधानी से संभालें। महिलाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक पुलिस व्यवस्था पहलों को बढ़ावा देने से विश्वास बढ़ाने और स्थानीय सुरक्षा नेट-वर्क को मज़बूत करने में मदद मिलेगी।

सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता

- भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा से निपटने के लिए ऐसी बहुक्षेत्रीय पहल ज़रूरी है जिसमें कानूनी, सामाजिक, आर्थिक, टेक्नोलॉजिकल और शिक्षण का समेकित हस्तक्षेप शामिल हों। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवेश बनाने के उद्देश्य से सरकारी एजेंसियों, सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्र से सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं के प्रति हिंसा केवल कानून और पुलिस का मुद्दा नहीं है; यह नैतिक और सामाजिक अनिवार्यता है। सामूहिक प्रयासों से हम ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जहाँ हर महिला सम्मान के साथ, सुरक्षित रूप से और हिंसामुक्त वातावरण में रह सकती है।